निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र 1941 (श0)

(सं0 पटना 508) पटना, शुक्रवार, 29 मार्च 2019

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

29 मार्च 2019

कठिनाइयों का निवारण आदेश सं० 4/2019–राज्य कर

एस० ओ० 76, दिनांक 29 मार्च 2019—जबकि, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिनपश्चात् इस आदेश में "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इतने इनपुट टैक्स तक सीमित रहेगा, जो करधान आपूर्ति के कारण होता है; और

और जहाँ कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के उद्देश्य के लिए मूल्य वही होगा जो कि नियमों के द्वारा निर्धारित किया जायेगा;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम – यह आदेश बिहार माल और सेवा कर (कठिनाइयों का चौथा निराकरण) आदेश, 2019 कहलाएगा ।

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, जिनपर कर लगता हो, जिनमें कि जीरो रेटेड आपूर्तियाँ और छूट प्राप्त आपूर्तियाँ भी आती हैं, से संबंधित क्रेडिट राशि का निर्धारण उस कॉम्पलेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रकचर के या उसके हिस्से के निर्माण के क्षेत्रफल पर आधारित होगा जो कि कर योग्य है और छूट प्राप्त है।

3. यह आदेश 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी।

[(सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–5) 1135)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

29 मार्च 2019

एस० ओ० 76, दिनांक 29 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–5) 1135)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

———

The 29th March 2019

Removal of Difficulty Order No. 04/2019- State Tax

S.0. 76, Dated 29th March 2019— Whereas, sub-section (2) of section 17 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter in this order referred to as the "said Act") provides that the input tax credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to the taxable supplies; and

Whereas sub-section (3) of section 17 of said Act provides that the value for the purpose of sub-section (2) of section 17 of the said Act shall be such as prescribed by rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the Governor of Bihar, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title. - This Order may be called the Bihar Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by para 5 (b) of Schedule II of BGST Act, 2017, the amount of credit attributable to the taxable supplies including zero rated supplies and exempt supplies shall be determined on the basis of the area of the construction of the complex, building, civil structure or a part thereof, which is taxable and the area which is exempt.

3. This order will be effective from 1st April, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5)1135)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 508-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in